राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 10 (10) ग्रा.वि./नरेगा/रोज.सहा./2010 जयपुर, दिनांक 05 AUG 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों को यात्रा भत्ता भुगतान बाबत।
संदर्भः विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 7.9.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को उनके द्वारा अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर राजकीय कार्य से यात्रा किये जाने पर, बिना टिकिट प्रस्तुत किये प्रचलित दर के अनुसार यात्रा किराये के पुर्नभरण के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

इस संदर्भ में कतिपय जिलों द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की तरह अन्य संविदा कार्मिकों को भी यह शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम रोजगार सहायकों की तरह पंचायत समिति में कार्यरत अन्य संविदाकर्मियों को भी पंचायत समिति क्षेत्र में मुख्यालय से 8 किलोमीटर परिधि के बाहर यात्रा करने पर इस यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन साधनों की प्रचलित दर पर बिना यात्रा टिकिट प्रस्तुत किये, यात्रा किराये का पुनर्भरण किया जा सकेगा। यह पुनर्भरण कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा यात्रा प्रमाणित होने पर ही किया जा सकेगा।

भवदीय
3/8/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय जिला परिषद्, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त आयुक्त(द्वितीय) ईजीएस